प्रेस नोट दिनांक- 20.12.2024

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

आत्महत्या के लिए उकसाना, क्रूरता करना, मार-पीट, गाली- गलौज करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हारी का पुरवा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रार्थी निवासी ग्राम खरवई थाना देल्हूपुर, प्रतापगढ़ ने थाना जेठवारा पर प्रार्थना पत्र दिया था कि प्रार्थी की पुत्री का विवाह 02 जून 2016 को सुनील कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम भट्ट पुरवा चमरुपुर पठान थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ से हुआ था। प्रार्थी की पुत्री के ससुरालजन पति, ननद, सास, ससुर द्वारा प्रार्थी की पुत्री के साथ क्रूरता करना, आत्महत्या के लिए उकसाना मार-पीट, गाली- गलौज जैस कार्य करने पर दिनांक 09.12.2024 को उपरोक्त लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध को कारित करने के लिए प्रेरित किया। जिसके संबंध में प्रार्थी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 315/2024 धारा 115(2), 352, 108, 85 बीएनएस बनाम 05 नामजद व्यक्ति व अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 वारिज मय हमराह हे0का0 सत्येन्द्र सिंह, हो0गा0 जितेन्द्र तिवारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 315/2024 धारा 115(2), 352, 108, 85 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम भट्ट पुरवा चमरुपुर पठान थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत हारी का पुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुनील कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम भट्ट पुरवा चमरुपुर पठान थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 वारिज मय हमराह हे0का0 सत्येन्द्र सिंह, हो0गा0 जितेन्द्र तिवारी थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ0नि0 निर्मल कुमार हमराह का0 हरेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी के दौरान, मु0न0 4407/ 22 धारा 269/270/505 भादवि व 125 लोक सम्पत्ति निवा0 अधि0 से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 01. संतोष यादव पुत्र तुलसीदास निवासी बसनीपुर थाना कुण्डा प्रतापगढ़ 2. गुड्डन पुत्र रामनरेश निवासी ककरहवा रैयापुर थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौरा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01. संतोष यादव पुत्र तुलसीदास निवासी बसनीपुर थाना कुण्डा प्रतापगढ़

02. गुड्डन पुत्र रामनरेश निवासी ककरहवा रैयापुर थाना कुण्डा, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 निर्मल कुमार हमराह का0 हरेन्द्र कुमार थाना कुण्डा, प्रतापगढ़।

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना अंतू पुलिस द्वारा दो जोड़ी पायल व तीन जोड़ी बिछिया के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना अंतू पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के कटका मोड़ ग्राम नरी के पास गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रार्थी निवासी नरी, थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना अंतू में 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक SBBL तथा उसके साथ लगभग 50 कारतूस, लाइसेंसी राइफल के लगभग 20 कारतूस जो घर पर पड़े थे, बक्से से ताला तोड़ कर रखे हुए लगभग नगद कैश व पत्नी व बहू के सोने व चांदी के जेवरात घर से चोरी हो जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके सं◌ंबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/2024 धारा 380,457,411 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगरशिवनारायण वैश के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी अंतू आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री अनुपम पटेल, उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार, आरक्षी बौद्ध प्रकाश मय चालक अजय कुमार चौहान द्वारा दिनांक 20.12.2024 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 145/24 धारा 380 / 457/411 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त हरिकेश वर्मा पुत्र स्व0 रामअवध वर्मा उर्फ अवधर्मा निवासी नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत कटका मोड़ ग्राम नरी के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास दो जोड़ी पायल व तीन जोड़ी बिछिया बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिकेश वर्मा पुत्र स्व0 रामअवध वर्मा उर्फ अवधर्मा निवासी नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैने अपने साथियो के साथ मिलकर के निवासी ग्राम नरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ के घर से एक बंदूक, नकद रूपये, जेवरात अनाज, बर्तन की चोरी की थी। मैंने अपने लड़के के इलाज के लिए वादी से लगभग 4 लाख रुपये उधार ले रखा था, मैं पैसा नहीं दे पाया अपना खेत देने के लिए उनसे एग्रीमेंट किया था। फिर बाद में मैंने सोचा कि यदि खेत बेचना ही है तो क्यों न अपने जाति बिरादरी को दूं। मैं अपना खेत उनको नहीं देना चाह रहा था। इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनायी और सोचा कि एग्रीमेंट के कागज को जला दूंगा ताकि वादी के पास कोई रिकार्ड नहीं रह जाएगा, मुझे खेत नही देना पड़ेगा। इसी प्लान के तहत मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर के उनके घर के बगल से छत पर चढ़कर के ताला तोड़कर घर के अंदर घुस कर के चोरी किया था। चोरी की बंदूक उन्हीं लोगों के पास है।

बरामदगीः- दो जोड़ी पायल व तीन जोड़ी बिछिया बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री अनुपम पटेल, उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार, आरक्षी बौद्ध प्रकाश मय चालक अजय कुमार चौहान थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म करने के संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के जलपा नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगणों द्वारा वादिनी को दिनांक 20.10.2024 को दवा दिलवाने के बहाने नशीली दवा खिलाकर दिल्ली ले जाकर वादिनी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के संबंध में थाना आसपुर देवसरा पर दिनांक 19.12.2024 को धारा 64/127(2)/123/352/351(2)/309 (4) बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी आसपुर देवसरा संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सुनील कुमार राय मय हमराह का० गौतम, का0 मोनू कुमार द्वारा दिनांक 19.12.2024 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर धारा 64/127(2)/123/352/351(2)/309 (4) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त इंतजार अहमद पुत्र जियाउद्दीन शाह निवासी सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के जलपा नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

इंतजार अहमद पुत्र जियाउद्दीन शाह निवासी सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

इंतजार अहमद पुत्र जियाउद्दीन शाह निवासी सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

04 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत भीट दुबे चौराहा से नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त शमशाद अहमद उपरोक्त पर चोरी जैसे 03 अभियोग थाना कंधई, थाना रानीगंज में दर्ज है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 सुनील सिंह यादव, का0 रणजीत सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 20.12.2024 को 04 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त शमशाद अहमद पुत्र शकील अहमद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम कनेवरा बुधई का पुरवा थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत भीट दुबे चौराहा से नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त शमशाद अहमद उपरोक्त के कब्जे से 04 अदद देशी बम बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 268/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त शमशाद अहमद पुत्र शकील अहमद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम कनेवरा बुधई का पुरवा थाना फतनपुर, प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

शमशाद अहमद पुत्र शकील अहमद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम कनेवरा बुधई का पुरवा थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ का आपराधित इतिहास-

1. मु0अ0सं0 137/2024 धारा 411, 419, 420, 465 भादवि थाना कंधई, प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 167/2024 धारा 379 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0 168/2024 धारा 379 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

बरामदगी-

04 अदद देशी बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 सुनील सिंह यादव, का0 रणजीत सिंह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।